अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 27क का संशोधन।

96. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 27क में, "दस प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्द रखे जाएंगे । 1962 का 52

धारा 28 का संशोधन।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

'(2क) जहां सूचना की तामील उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को की गई है वहां उचित अधिकारी,–

(i) यदि किसी शुल्क का उद्ग्रहण किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है अथवा ब्याज का संदाय नहीं किया गया है या भागतः संदाय किया गया है अथवा शुल्क या ब्याज का दुस्संधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण भूल से प्रतिदाय किया गया है तो, जहां ऐसा करना संभव हो, ऐसे शुल्क या ब्याज की रकम का एक वर्ष की अवधि के भीतर अवधारण करेगा ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, जहां ऐसा करना संभव हो, ऐसे शुल्क की रकम का, जिसका उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है या संदेय ऐसे ब्याज का, जिसका संदाय नहीं किया गया है, भागतः संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है,

उपधारा (1) के अधीन व्यक्ति को सूचना की तामील की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अवधारण करेगा ।

(2ख) जहां किसी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है अथवा संदेय किसी ब्याज का संदाय नहीं किया गया है, भागतः संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां वह व्यक्ति, जो शुल्क या ब्याज से प्रभार्य है, यथास्थिति, शुल्क या ब्याज की बाबत उपधारा (1) के अधीन उसको सूचना की तामील के पूर्व शुल्क या ब्याज की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में उचित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित कर सकेगा जो, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त शुल्क या ब्याज की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगाः

परंतु उचित अधिकारी शुल्क या ब्याज के कम संदाय की रकम, यदि कोई हो, का अवधारण कर सकेगा, जिसका उसकी राय में, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय नहीं किया गया है और तब उचित अधिकारी इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी रकम को वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा और उपधारा (2क) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, "एक वर्ष" या "छह मास" की अवधि की गणना संदाय की ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1--उपधारा (2ख) की कोई बात किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था या संदाय नहीं किया गया था अथवा ब्याज का संदाय नहीं किया गया था या उसके भाग का संदाय किया गया था या शुल्क या ब्याज का, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अथवा आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा दुस्संधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाए जाने के कारण भूल से प्रतिदाय किया गया था ।

स्पष्टीकरण 2--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 28कख के अधीन ब्याज व्यक्ति द्वारा इस उपधारा के अधीन संदत्त रकम पर और शुल्क के ऐसे कम सदांय की रकम पर भी, यदि कोई हो, जो यदि यह उपधारा नहीं होती तो समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, संदेय होगा ।

(2ग) उपधारा (2ख) के उपबंध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे, जिसमें शुल्क या ब्याज संदेय हो गया था या उस तारीख से पहले, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदत्त किया जाना चाहिए था ।'।

धारा 28कक का संशोधन।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसी दशाओं को लागू नहीं होंगे जिनमें शुल्क या ब्याज उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदेय हो जाता है या संदत किया जाना चाहिए था।"।

धारा 28कख का संशोधन।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कख में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) जहां किसी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जो धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (2ख) के अधीन अवधारित रूप में शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, ऐसी दर से, जो प्रति वर्ष अठारह प्रतिशत से कम और छत्तीस प्रतिशत से अधिक न हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस मास के जिसमें, यदि धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट उपबंध नहीं होते तो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से या ऐसे भूल से प्रतिदाय की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय नियत की गई हो, ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसे मामलों में, जहां शुल्क धारा 151क के अधीन बोर्ड द्वारा किसी आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है और ऐसे, यथास्थिति, आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर ऐसे संदाय मद्धे अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना, संदेय शुल्क की ऐसी रकम पूर्णतः स्वेच्छया संदत्त की जाती है वहां कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, और अन्य मामलों में, ब्याज पहले ही संदत्त रकम सहित संपूर्ण रकम पर संदेय होगा ।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) के उपबंध उन मामलों को लागू नहीं होंगे जहां शुल्क या ब्याज, उस तारीख से पूर्व संदेय हो गया था या संदत किया जाना चाहिए था, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।"।

धारा 61 का संशोधन।

100. ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (ii) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112 में,-- धारा 112 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, "जो ऐसे माल के मूल्य के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसे माल के मूल्य से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है, पांच गुने से अनधिक या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, "जो उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, "जो माल के मूल्य से पांच गुने से या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो माल के मूल्य से पांच गुने से या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर से पांच गुने से अनधिक होगी, या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) खंड (v) में, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो ऐसे माल पर उस शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी, जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है या उसके घोषित मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर के पांच गुने से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 में,-- धारा 114 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, "ऐसे माल के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे माल के पांच गुने से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, " ऐसे माल पर अपवंचन किए जाने वाले शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे माल पर अपवंचन किए जाने वाले शुल्क के पांच गुने से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) खंड (iii) में, "जो दावा की गई वापसी की रकम के पांच गुने से अनधिक होगी या एक हजार रुपए होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो दावा की गई वापसी की रकम से अनधिक होगी या पांच हजार रुपए होगी", शब्द रखे जाएंगे।

103. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) में,-- धारा 128 का संशोधन।

(i) "तीन मास के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "साठ दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु आयुक्त (अपील), यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के भीतर अपील करने से निवारित हो गया था तो, वह उसे तीस दिन की और अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।"।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क में,-- धारा 128क का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों से आरंभ होने वाले और "पुनःनिर्दिष्ट कर सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आयुक्त (अपील), ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह न्यायसंगत और उचित समझे :";

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4क) आयुक्त (अपील), जहां ऐसा करना संभव है वहां, प्रत्येक अपील की, उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा ।"।

105. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (1) में, "ऐसे कलक्टर को" शब्दों के स्थान पर "ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को" शब्द रखे जाएंगे । धारा 129घ का संशोधन ।

106. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 129ङ का संशोधन ।

"परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक के अधीन मांग किए गए शुल्क और ब्याज या उद्गृहीत शास्ति को जमा करने से अभिमुक्ति के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहां आयुक्त (अपील), जहां यह संभव हो, ऐसे आवेदन का, उसके फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा ।"।

107. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 159 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 फरवरी 1963 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 159क का अंतःस्थापन ।

"159क. जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश या ऐसे नियम या विनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश का संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन किया जाता है वहां जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन से,-- नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के संशोधन आदि का प्रभाव ।

(क) ऐसी कोई बात पुनः प्रवर्तित नहीं होगी जो उस समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है जब संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन प्रभावी हुआ ; या

(ख) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के पूर्व में प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या उठाई गई हानि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ग) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(घ) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या उल्लंघन में किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवर्तित रहेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो, यथास्थिति, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश का संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन नहीं किया गया हो ।"।

की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

108. 1 फरवरी 1963 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन या ऐसे नियम या विनियम के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना या आदेश के अधीन की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए लोप या यह तात्पर्यित है कि कोई कार्रवाई या बात की गई है या लोप किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप किया गया और सदैव की गई या किया गया है मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 105 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा हो और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विधिमान्य रूप से सदैव इस प्रकार की गई या किया गया है मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 105 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में हो ;

(ख) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष न तो चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी और न ऐसी की गई कार्रवाई या किसी बात या किए जाने वाले लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 105 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में हो;

(ग) ऐसे शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की, जिनका, यथास्थिति, संग्रहण या प्रतिदाय किया गया है, ऐसी सभी रकमों की वसूली ऐसे की जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हो।

स्पष्टीकरण--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई ऐसा कार्य या लोप अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं रही होती तो, इस प्रकार दण्डनीय नहीं होता ।

धारा 25 के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं का संशोधन।

109. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 : सा.का.नि. 465 (अ), तारीख 3 मई, 1990, सा.का.नि. 423 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 946 (अ), तारीख 28 दिसम्बर, 1992 और सा.का.नि. 417 (अ), तारीख 14 मई, 1993 का संशोधन किया जाएगा और ऐसी अधिसूचनाओं में से क्रमशः प्रत्येक के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तारीख से ही आठवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया गया समझा जाएगा और तद्नुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या यह तात्पर्यित है कि वह की गई है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से की गई है और सदैव की गई है मानो इस उपधारा द्वारा संशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हों ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का संशोधन करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे शक्ति होगी, मानो "केन्द्रीय सरकार" को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभी तात्विक समयों पर उक्त अधिसूचनाओं का संशोधन करने की शक्ति थी ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन।

110. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में,-- 1975 का 51

(i) उपधारा (1) में और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु मानव उपभोग के लिए भारत में आयातित किसी मद्यसारिक लिकर की दशा में, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विभिन्न राज्यों में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शुल्क की दर या किसी राज्य में उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर का उत्पादन या विनिर्माण नहीं होता है तो, उस उत्पाद-शुल्क का ध्यान रखते हुए जो उस मद्यसारिक लिकर के, जिससे आयातित लिकर संबंधित है, वर्ग या वर्णन पर विभिन्न राज्यों में तत्समय उद्ग्रहणीय होगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।";

(ii) उपधारा (2) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु भारत में आयातित किसी वस्तु की दशा में,--

(क) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी वस्तु, जिसके संबंध में उसके पैकेज पर उस वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत घोषित करने की अपेक्षा की जाती है ; और 1976 का 60

(ख) जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार की वस्तु या उस दशा में, जिसमें उसी प्रकार की ऐसी वस्तु का उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है वहां उन वस्तुओं के, जिनसे आयातित वस्तु संबंधित है, वर्ग या वर्णन वह माल है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। 1944 का 1

वहां आयातित वस्तु का मूल्य, ऐसे फुटकर विक्रय कीमत में से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन उसी प्रकार की वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, मंदी की ऐसी रकम को, यदि कोई हो, घटाकर, आयातित वस्तु के संबंध में घोषित फुटकर विक्रय कीमत के रूप में समझा जाएगा। 1944 का 1

स्पष्टीकरण--जहां किसी आयातित वस्तु पर एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है वहां ऐसी अधिकतम फुटकर विक्रय कीमत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के प्रयोजन के लिए फुटकर विक्रय कीमत है ।"।

धारा 8ख का संशोधन ।

111. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख में,--

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वस्तु की ऐसी मात्रा को, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी देश या राज्यक्षेत्र से भारत में आयात किए जाने के समय, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सुरक्षा शुल्क या उसके किसी भाग के संदाय से छूट दे सकेगी ।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, जब तक कि उसमें विनिर्दिष्ट रूप से लागू न किया गया हो, किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम", "मुक्त व्यापार क्षेत्र" और "विशेष आर्थिक क्षेत्र" पदों के वही अर्थ हैं जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में हैं ।'।

1944 का 1

112. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :- धारा 9क का संशोधन।

'(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिपाटन शुल्क, जब तक, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना में या ऐसे अधिरोपण में विनिर्दिष्ट रूप में लागू न किया गया हो, किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम", "मुक्त व्यापार क्षेत्र" और "विशेष आर्थिक क्षेत्र" पदों के वही अर्थ हैं जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में हैं ।'।

1944 का 1

113. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची,-- पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी ; और

(ख) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधित की जाएगी ।